


दिनांक... को पेश हो। क्रम ७६५...  
१८/११/१५

18-12-15

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक  
अपिलान्ट उपस्थित। पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपिल  
अन्तरिम आदेश 3.5.12 के विरुद्ध

न्यायालय भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
अलवर [ राज० ]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
	<p>की गई है जिसमें रिन्दाई एवं मोके की प्रथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। माननीय राजस्व मण्डल ने अपने लार्जर बेंच के फेसिले में यह माना है कि अन्तरिम आदेशों के खिचाकूट अपील स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। अति. अपीलकर्ता भी इस फेसिले से सहमत है उनका यह भी कथन है कि प्रकरण वर्ष 2012 से पेन्डिंग है जिस पर कोई कार्य नहीं अभी तक नहीं की गई है अतः अर्धनियम न्यायालय को प्रकरण को 2 माह में निपटाने हेतु निर्देशित किया जावे। हम विद्वान अति. अपीलकर्ता के इस कथन से सहमत हैं अतः प्रकरण इस आदेश के साथ निस्तारित किया जाता है कि अर्धनियम न्यायालय दोनो पक्षों को सुनकर 2 माह में निर्णय पारित करे। पत्रावली फेसिले शुभार होकर मन्वार से कम हो आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">               भू- प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर           </p>